संसद के समक्ष अभिभाषण — 19 फरवरी 2001

लोक सभा	-	तेरहवीं लोक सभा
सत्र	-	वर्ष का पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री के.आर. नारायणन
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री कृष्ण कांत
भारत के प्रधानमंत्री	-	श्री अटल बिहारी वाजपेयी
लोक सभा अध्यक्ष	-	श्री जी.एम.सी. बालयोगी

माननीय सदस्यगण,

वर्ष 2001 में संसद के इस प्रथम सत्र में आपका स्वागत करते हुए मुझे अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है। मैं इस सत्र में प्रस्तुत किये जाने वाले बजट और विधायी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं।

संसद का यह सत्र गत माह गुजरात में आए भूकम्प के कारण हुए विनाश की भयंकर छाया में हो रहा है। इसमें हजारों जानें गईं, हजारों करोड़ रुपये की सरकारी और निजी सम्पत्ति नष्ट हुई और बहुत से लोग बेघर हो गये। हम, आज शोकसंतप्त परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करते हैं। हम उन्हें, और भूकम्प से प्रभावित अन्य सभी को, विश्वास दिलाते हैं कि संकट और वेदना की इस घड़ी में वे अकेले नहीं हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र उनके साथ है, और उसने पूरी सहानुभूति और दृढ़ता का परिचय दिया है। इस दु:खद घटना से विश्व की अनेक सरकारों, गैर-सरकारी संगठनों और बहुपक्षीय एजेन्सियों ने खुले दिल से, इस राष्ट्रीय प्रयास में योगदान दिया है। मेरी सरकार और भारत की जनता उन सभी की अत्यधिक आभारी है।

केन्द्र सरकार और गुजरात राज्य सरकार राज्यभर में राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों को मिलकर कर रही हैं। मैं थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के जवानों और अफसरों की इस प्रयास में उनकी उल्लेखनीय भूमिका के लिए प्रशंसा करता हूं। अन्य सभी राज्यों की सरकारें भी गुजरात की सहायता में बढ़कर आगे आई हैं। अवश्य ही, यह सभी केन्द्रीय एवं राज्य एजेन्सियों के समन्वित प्रयास का फल है

कि विद्युत, दूरसंचार, रेल, हवाई व सड़क संपर्कों की उल्लेखनीय गति से बहाली हुई। बड़े पैमाने पर स्वयंसेवी संस्थाओं के सराहनीय योगदान ने इन प्रयासों में बहुत सहायता की है और इन्हें सुदृढ़ बनाया है। जीवित बचे लोगों की सहायता करने के लिए हजारों स्वयंसेवक दिन-रात काम कर रहे हैं। मैं, इस सम्मान्य सदन की ओर से, उनके समर्पित और अथक कार्यों के लिए उनकी सराहना करता हूं? बाह्य अथवा आंतरिक संकट की घड़ी में, हमारे देशवासियों ने सदैव अपूर्व एकता और सेवा भावना से कार्य किया है। हमें इन परोपकारी गुणों को और विकसित करना चाहिए ताकि ये हर समय, हमारे राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित कर सकें।

गुजरात में आई विपत्ति, 1999 में उड़ीसा में आए महाचक्रवात और हाल के वर्षों में देश के अन्य भागों में आई प्राकृतिक आपदाओं ने हमारी आपदा प्रबंध क्षमताओं का विस्तार करने और उन्हें आधुनिक बनाने की तात्कालिक आवश्यकता को एक बार फिर उजागर किया है हमें निर्माण तथा नगर नियोजन नियमों में तत्काल संशोधन करने होंगे तथा उन्हें अद्यतन बनाना होगा। हमें उन्हें दृढ़ता से लागू करने और यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि उनकी अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त, यह आवश्यक है कि हमारे पास केन्द्र, राज्य तथा जिलों में एक व्यापक आपदा प्रबंध योजना हो, जिसके विशिष्ट दीर्घावधिक तथा अल्पावधिक उद्देश्य हों। हमें सामूहिक रूप से प्रयास करके यह सुनिश्चित करना होगा कि आपदा के बाद का जीवन उससे पहले के जीवन से बेहतर हो।

मुझे खुशी है कि सरकार ने गुजरात भूकंप पर विचार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में आम सहमति होने पर, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंध समिति गठित की गई है। इसमें, अन्य के साथ, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह गुजरात में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण संबंधी कार्यों के लिए अल्प, मध्य और दीर्घकालिक उपायों का सुझाव देगी। यह गुजरात में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा करेगी। यह, भविष्य में, राष्ट्रीय आपदाओं से निपटने के लिए एक प्रभावी और दीर्घकालीन नीति के लिए आवश्यक और विधायी उपायों पर भी विचार करेगी। इसके अतिरिक्त, यह राष्ट्रीय आपदा को परिभाषित करने वाले मापदण्डों पर भी विचार करेगी। यह समिति की सिफारिशों के आधार पर, सरकार एक स्थायी राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण, और राज्यों में उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरणों की स्थापना करने पर विचार करेगी।

भारत के संपूर्ण इतिहास में, तीर्थों ने लोगों को धार्मिक निष्ठा और राष्ट्रीय एकता के बंधनों में बांधकर एकजुट रखने में अद्वितीय भूमिका निभाई है। इलाहाबाद में आयोजित महाकुंभ में एकत्रित अपार जनसमूह में आस्था के भव्य प्रदर्शन ने पुनः यह बात सिद्ध की। मैं इस महापर्व की सुचारू व्यवस्था करने पर उत्तर प्रदेश शासन, रेलवे

और सभी अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेन्सियों को उनके समन्वित प्रयासों के लिए बधाई देता हूं, जिन्होंने संपूर्ण विश्व पर अपनी छाप छोड़ी है।

यह वर्ष, हमारे गणतंत्र की स्वर्ण जयंती समारोहों का समापन वर्ष है। जैसे-जैसे साल बीतते जाएंगे, 15 अगस्त, 1947 और 26 जनवरी, 1950 इतिहास के पन्नों में और पीछे होते चले जाएंगे। ये अतीत की बात लग सकते हैं, खासतौर पर भारत के युवकों को, जो हमारी जनसंख्या का लगभग 37 प्रतिशत हैं। फिर भी, समय हमारे देश के बृहत इतिहास में इन दो तारीखी दिनों के महत्व को कम नहीं कर सकता है। स्वतंत्रता और लोकतंत्र की पवित्र ज्योति नई शताब्दी और सहस्त्राब्दि में भारत की यात्रा को प्रदीप्त करती रहेगी। इस संसद को, जोकि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुना हुआ सर्वोच्च निकाय है, हमारे संविधान में प्रतिष्ठापित गणतांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक से अधिक योगदान करने का संकल्प करना चाहिए।

यद्यपि हम सभी को स्वतंत्रता के बाद हुई भारत की उपलब्धियों पर गर्व है, फिर भी हम उन गंभीर चुनौतियों के बारे में भी समान रूप से जागरूक हैं, जिनका हम अभी भी सामना कर रहे हैं। डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर के सचेतक शब्दों से हमें आगे बढ़ने में मार्गदर्शन लेना चाहिए। उन्होंने संविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय, बड़े विश्वास से कहा था "26 जनवरी, 1950 को हम अंतर्विरोधों के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में समानता होगी, और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में असमानता। हमें शीघ्रातिशीघ्र इस अंतर्विरोध को दूर करना होगा।" दुर्भाग्य से, जिस अंतर्विरोध के बारे में डॉ. अंबेडकर और स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत से अन्य समर्थकों ने हमें आगाह किया था, वह आज भी हमारे राष्ट्रीय जीवन को क्षति पहुंचा रहा है। इसलिए, हम सभी को अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र को तब तक अधूरा मानना चाहिए, जब तक कि हम इस अंतर्विरोध को समाप्त न कर दें और अपने महान राष्ट्र का निर्माण ऐसी मातृभूमि के रूप में करें जिसमें उसके सौ करोड़ से भी अधिक नागरिकों को न्याय और समान अवसर मिले।

भारत में लोकतंत्र की मुख्य उपलब्धियों में से एक यह है कि राजनीतिक प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, न केवल मतदाता के रूप में, बल्कि चुने हुए प्रतिनिधियों और कार्यकारी उत्तरदायित्व के धारकों के रूप में भी लगातार बढ़ रही है। साथ ही, इस सकारात्मक अनुभव ने महिलाओं और पुरुषों, दोनों को संसद और राज्य विधान सभाओं में हमारी बहनों के अल्प-प्रतिनिधित्व के बारे में जागरूक किया है। संविधान (85वां संशोधन) विधेयक, 1999 जो महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के इस व्यापक समर्थन के परिप्रेक्ष्य में था, संसद में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह विधेयक अभी तक अधिनियम नहीं बना है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि वे इस विधेयक पर सहमति बनाएं और उसे इस सत्र में पारित करें। हम यह वर्ष 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में मना रहे हैं। भारतीय संसद द्वारा ऐसा करना इसके लिए समीचीन भेंट होगी।

भारत ने पिछले पखवाड़े में अपना सबसे बड़ा जनगणना अभियान आरंभ किया है। हमारी जनसंख्या अब 100 करोड़ को पार कर गयी है। पिछले वर्ष हमने एक व्यापक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी अंगीकार की है। यह नीति तीन प्रमुख उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाई गई है। ये हैं–जनसंख्या वृद्धि की दर को कम करना; आकार को स्थिर बनाना; और सारी जनसंख्या, विशेष रूप से महिलाओं के लिए कल्याण और विकास के अवसर प्रदान करना। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों के सहयोग से कुछ प्रोत्साहन और हतोत्साहन का कार्यक्रम तैयार करने की आवश्यकता है। इन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक संस्थाओं के पूर्ण सहयोग के बिना जोर-जबर्दस्ती के लागू किया जाना चाहिए।

भारत की बाह्य और आंतरिक सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम किसी भी संभावित घटना का मुकाबला करने के लिए देश की स्ट्रैटेजिक रेस्पांस कैपेबिलिटी को सुदृढ़ बनाने के लिए वचनबद्ध हैं। मंत्रियों के एक दल ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली पर करगिल समीक्षा समिति की सिफारिशों की जांच की है और यह शीघ्र ही अपने सुझाव प्रस्तुत करेगा। अपने देश में बनाए गए हल्के लड़ाकू विमान ने गत माह सफलतापूर्वक अपनी पहली उड़ान भरी। राष्ट्र इस वैमानिक उपलब्धि, और प्रक्षेपास्त्र विकास में अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए भी अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के समर्पित कार्य की प्रशंसा करता है।

सरकार जम्मू-कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए एक बहु-कोणीय नीति अपना रही है। इसके एक भाग के रूप में इसने 19 नवम्बर, 2000 को रमज़ान के पवित्र महीने के दौरान राज्य में संघर्ष की पहल न करने की एकतरफा घोषणा करके एक प्रमुख शांति मिशन आरम्भ किया है। इस साहसिक पहल की अवधि दो बार बढ़ाकर 26 फरवरी 2001 तक रखी गई है। जैसा कि प्रत्याशा थी, इसका जम्मू-कश्मीर के लोगों ने भरपूर स्वागत किया जो अपने इस सुन्दर राज्य में उग्रवाद और हिंसा की समाप्ति के लिए उत्सुक हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी पूरा समर्थन दिया है क्योंकि वह इसे कश्मीर मामले के शांतिपूर्वक और स्थायी समाधान के लिए भारत की सच्ची वचनबद्धता के एक और प्रमाण के रूप में देखता है।

हम सभी के लिए यह अत्यन्त दु:ख और चिंता का विषय है कि पाकिस्तान ने भारत के सद्भाव के अनुरूप प्रतिक्रिया नहीं की है। पाकिस्तान की धरती से होने वाले सीमा-पार के आतंकवाद तथा द्वेषपूर्ण भारत विरोधी प्रचार में समाप्ति तो दूर, कोई कमी भी नहीं आयी है। उन लोगों द्वारा 'जेहाद' की ओट में बर्बरतापूर्ण कृत्यों के कारण रोजाना बहुत से बेकसूर लोग मर रहे हैं। मानवता के विरुद्ध किए जा रहे ये कृत्य धर्म का उपहास हैं और इसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। भारत के साथ बातचीत फिर शुरू करने की उसकी उत्सुकता संबंधी उसके प्रकथन तब तक विश्वसनीय नहीं होंगे, जब तक कि वह आतंकवादियों द्वारा गोलीबारी कराता रहेगा।

यदि पाकिस्तान सार्थक बातचीत के लिए अनुकूल वातावरण बनाए तो भारत वार्ता प्रक्रिया पुनः शुरू करने के लिए तत्पर है। हमारी सेना और अर्धसैनिक बल कष्टप्रद परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र उनकी अटल दृढ़ता एवं बलिदान की कद्र करता है। आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई अनवरत चलती रहेगी।

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अधिकाधिक भाड़े के विदेशी गुटों तक सीमित होकर रह गया है। इससे राज्य में लोकतांत्रिक कार्यकलाप की गुंजाइश बढ़ गयी है। हाल में हुए पंचायत चुनावों में राज्य के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैं फिर से यह दोहराता हूं कि सरकार राज्य में हिंसा का त्याग करने वाले किसी भी समूह से वार्ता के लिए तैयार है।

पूर्वोत्तर की स्थिति में पहले की अपेक्षा सुधार हुआ है। सामरिक महत्व के इस क्षेत्र में शांति और सामान्य स्थिति के लिए राजनीतिक स्थिरता और तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास जरूरी है। इसे उग्रवादी और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के साथ जोड़ना होगा। पूर्वोत्तर के लिए तैयार किए गए विकास संबंधी विशेष पैकेज को तीव्रता से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस क्षेत्र को प्रत्येक वर्ष पर्याप्त विकास संबंधी संसाधन दिये जाते हैं, परन्तु बुनियादी तौर पर उनका प्रभाव उस अनुपात में नहीं है। मैं, राज्य सरकारों से यह अनुरोध करता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सरकारी निधियों का कोई कुप्रबंध या दुरुपयोग न हो। इसके लिए वे प्रभावी विकेन्द्रीकरण करें, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुदृढ़ बनाएं और लोक संगठनों की भागीदारी बढ़ाएं। उन्हें अपने संबंधित राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा भी अवश्य करनी चाहिए।

सरकार पंथनिरपेक्षता के प्रति अपनी वचनबद्धता पर कायम है। सांप्रदायिक तथा जातीय हिंसा लगातार घट रही है। भारत में सांप्रदायिक गड़बड़ी को फैलाने के लिए सीमा पार से की जा रही लगातार कोशिशों के मद्देनजर, यह सुधार विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हमने साम्प्रदायिक एवं उग्रवादी संगठनों के विरुद्ध अपनी चौकसी बढ़ा दी है। गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर और निष्पक्षतापूर्वक कार्रवाई करने के संबंध में कानून अपना कार्य करेगा।

पिछले वर्ष हुई अति महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक थी—तीन नए राज्यों—छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड और झारखण्ड का सृजन किया जाना। इस प्रकार, भारत संघ में राज्यों की संख्या 25 से 28 हो गई। इन नए राज्यों के बनने से वहां के लोगों की लंबे समय से चली आ रही आकांक्षाएं पूरी हो गई हैं। इससे उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी आएगी। मैं, आप सभी के साथ इन नए राज्यों को हार्दिक बधाई देता हूं।

केन्द्र तथा राज्यों के संबंध सौहार्दपूर्ण बने हुए हैं। अंतर्राज्यीय परिषद् तथा उसकी स्थायी समिति की नियमित रूप से बैठकें हो रही हैं। यह हमारे लोकतंत्र तथा हमारी

संघीय राज्य व्यवस्था के लिए शुभ संकेत हैं। अगस्त में, आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जिसमें उग्रवाद, आतंकवाद तथा संगठित अपराध से निपटने के लिए राज्यों के बीच तथा केन्द्र व राज्यों के बीच और बेहतर समझबूझ तथा अधिक समन्वय विकसित करने में मदद मिली है। राज्य द्वारा किए जाने वाले समान अंशदान के आधार पर, राज्य पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता अगले दस वर्षों के लिए ₹200 करोड़ से बढ़ाकर ₹1,000 करोड़ प्रतिवर्ष कर दी गई है।

ग्यारहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसमें राज्य सरकारों की बिगड़ती राजकोषीय दशा के गंभीर मुद्दे का उल्लेख किया गया है। राज्यों के राजकोषीय घाटे को कम करने तथा चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सुधार लाने के लिए मॉनीटर किए जाने योग्य एक सुधार कार्यक्रम उसकी सिफारिशों में से एक है। केन्द्र में यह सकारात्मक उद्देश्य प्राप्त किए जाने हेतु राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक तैयार किया गया है।

भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया को अब एक दशक हो गया है। इस अवधि के दौरान, केन्द्र तथा राज्यों में विभिन्न दलों और गठबंधनों वाली कई सरकारों ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। इस प्रकार सुधारों की कार्यसूची को बढ़ती राष्ट्रीय सहमति बनाए रखा गया है। इस सर्वसम्मति को व्यापक और सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है। यह हमेशा इस मापदण्ड से नियंत्रित होना चाहिए कि क्या अमुक नीतिगत परिवर्तन देश तथा आम आदमी के हितों को बढ़ावा देते हैं। सुधार प्रक्रिया को इस प्रकार व्यापक बनाए जाने की आवश्यकता है कि आत्मनिर्भरता को पुष्ट किया जा सके, रोजगार के अधिक अवसर सृजित किये जा सकें, गरीबी को तेजी से दूर किया जा सके। पिछले दशक के अनुभव ने यह स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि आर्थिक सुधार तभी वांछित परिणाम दे सकते हैं जब प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षिक और श्रम सुधार उनके अनुपूरक हों। ये सभी सुधार एक राष्ट्रीय प्रयास का अभिन्न अंग हैं, जिसका लक्ष्य भारत की प्रचुर क्षमता को 21वीं सदी में नवीकृत वास्तविकता में बदलना है।

भारत विश्व की दस तीव्रतम विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हमारी अर्थव्यवस्था में 6 से 7 प्रतिशत तक की वार्षिक दर से उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ऐसा देश के विभिन्न हिस्सों में सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ, बाह्य मोर्चे पर गंभीर चुनौतियों के बावजूद हुआ है। तथापि, हमें अपनी प्रति-व्यक्ति आय को दुगुना करने और गरीबी को आधा करने के लिए अगले दस वर्षों हेतु 9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। यदि सरकारें, राजनीतिक दल तथा जनता "तीव्र एवं अधिक संतुलित विकास" को दशक के सामूहिक मंत्र के रूप में अंगीकार कर

लें, तो आज की समस्याओं को भविष्य में एक महोत्कर्ष की प्राप्ति के लिए अवसरों के रूप में बदला जा सकता है।

कृषि हमारे अधिकतर लोगों की जीविका का साधन बनी हुई है। पिछले वर्ष खाद्यान्नों की 209 मिलियन टन की रिकार्ड उपज के लिए हमारे परिश्रमी किसान शाबाशी के हकदार हैं। हमारा बफर स्टाक 40 मिलियन टन से अधिक हो गया है जो अब तक का सर्वाधिक है। आज भारत संसार में अधिकतम दूध उत्पन्न करने वाला प्रथम देश तथा अधिकतम चावल, गेहूं, फल और सब्जियां पैदा करने वाला दूसरा देश बन गया है। हम संसार में अंडों के पांचवें तथा मछलियों के छठे सबसे बड़े उत्पादक हैं। कृषि का त्वरित और सतत विकास करना सरकार की उच्च प्राथमिकता है। पिछले वर्ष, प्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई थी। इसमें चार प्रतिशत से अधिक की वार्षिक वृद्धि दर रखी गई है जो हमारी मृदा, जल और जैव-विविधता के संसाधनों के प्रभावी दोहन पर आधारित है। इसका उद्देश्य कृषि, सिंचाई, कृषि प्रसंस्करण, वितरण तथा विपणन में अधिक सार्वजनिक और निजी निवेशों को बढ़ावा देना भी है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और जैव-उर्वरकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। पिछले वर्ष घोषित की गई राष्ट्रीय भण्डारण नीति से खाद्यान्नों की थोक में समेकित उठाई-धराई, भण्डारण एवं ढुलाई के लिए अत्याधुनिक भण्डारगृहों के निर्माण में निजी निवेश को सुलभ बनाया जाएगा।

अपने किसानों को गैर-वाजिब विश्व प्रतियोगिता से बचाने के लिए खाद्य तेलों सहित कई कृषि वस्तुओं पर आयात शुल्क बढ़ा दिए गए। सरकार ने लेवी चीनी का अनुपात 40 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत करके चीनी पर से चरणबद्ध रूप में नियंत्रण हटाना शुरू कर दिया है। पिछले वर्ष के खरीफ मौसम के दौरान, 65 लाख किसानों का राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के अधीन बीमा किया गया। अब तक, 105 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं।

सिंचाई, विद्युत और ग्रामीण आधारभूत ढांचे में नई पूंजीगत परिसंपत्तियां बनाने के बजाय इन्पुट्स पर सब्सिडी देकर अधिक कृषि उत्पादन पर जोर देने की नीति ने कृषि में सार्वजनिक निवेश को काफी कम कर दिया है। इसने दुर्लभ संसाधनों के अकुशल इस्तेमाल को प्रेरित करने के अतिरिक्त, भूमि, जल संसाधनों, नहरों तथा सड़कों को खराब कर दिया है। इससे फसल उत्पादकता तथा किसानों के लाभ अवरुद्ध हुए हैं। इस दुष्चक्र को अधिक कार्यक्षमता और उत्पादकता के सुचक्र में बदलने की आवश्यकता है ताकि किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को, खासकर उनमें से निर्धनतम को फायदा हो सके।

तीव्र ग्रामीण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बहुत कम गांवों का सड़कों से जुड़ा होना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य अगले सात वर्षों में 500 से अधिक

की जनसंख्या वाली एक लाख से ज्यादा की ऐसी ग्रामीण बस्तियों को, जो सड़कों से नहीं जुड़ी हैं, बारहमासी सड़कें उपलब्ध कराना है। केन्द्र ने, पहली बार, ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए ₹2,500 करोड़ प्रतिवर्ष का प्रावधान किया है। यह केन्द्र प्रायोजित योजना राज्य सरकारों तथा पंचायती राज निकायों की पूर्ण भागीदारी से कारगर ढंग से कार्यान्वित की जाएगी।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले सभी जल विभाजक और क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को एक ही छत्र के नीचे लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल स्कीमों पर अभी तक पर्याप्त संसाधन लगाए गए हैं, लेकिन स्वामित्व की स्पष्ट व्याख्या के अभाव, घटिया आयोजन तथा रखरखाव के कारण इन योजनाओं के ठोस तथा अपेक्षित लाभ नहीं मिले हैं। अतः ग्रामीण पेयजल पूर्ति स्कीमों के कार्यान्वयन, प्रबंधन तथा अनुरक्षण में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत करने के लिए, प्रारंभ में अनेक जिलों में प्रायोगिक आधार पर, नए प्रयास किए गए हैं।

सरकार ने, खाद्य सब्सिडियों के लक्ष्य को बेहतर ढंग से प्राप्त करने के संबंध में सर्वसम्मति को देखते हुए, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए खाद्यान्नों का मासिक आबंटन, आधी आर्थिक लागत पर दस किलो से बढ़ाकर बीस किलो कर दिया है। दिसम्बर में शुरू की कई अंत्योदय अन्न योजना हमारे आर्थिक सुधारों के मानवीय पक्ष को दर्शाती है। यह देश के एक करोड़ निर्धनतम परिवारों को और भी कम दरों पर हर महीने 25 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करायेगी तथा यह दर गेहूं के लिए दो रुपये प्रति किलो और चावल के लिए तीन रुपये प्रति किलो होगी। सरकारी नीतियों के कारण, अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य उचित रहे हैं। देश के किसी भी भाग से किसी भी वस्तु की कमी की सूचना नहीं मिली है।

तीव्रतर एवं अधिक संतुलित आर्थिक विकास के लिए भारत की भौतिक अवसंरचना को आधुनिक बनाने और उसका विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता है। हमने हाल के वर्षों में कुछ क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कई अन्य क्षेत्रों में गंभीर अड़चनें अभी भी बनी हुई हैं। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने दूरसंचार के क्षेत्र में सुधारों को दृढ़ता से आगे बढ़ाया है। नई दूरसंचार नीति में निर्दिष्ट कई महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित समय से पहले ही हासिल किए जा चुके हैं। दूरसंचार सेवा विभाग को भारत संचार निगम लिमिटेड के रूप में निगमित कर दिया गया है। इन सुधारों के परिणाम अब साफ दिखाई देने लगे हैं। टैरिफ में तेजी से कमी हुई है, स्थानीय कॉलों के दायरे का विस्तार हुआ है और इंटरनेट सेवाओं में उल्लेखनीय प्रगति और सुधार हुआ है। प्रस्तावित संचार अभिसरण विधेयक दूरसंचार, प्रसारण और सूचना प्रौद्योगिकी के एकीकरण के उभरते परिदृश्य के अनुसार होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी हमारी अर्थव्यवस्था में तीव्रतम गति से विकसित हो रहे एक क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने आई है। हमारे सॉफ्टवेयर निर्यात 50 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक दर से लगातार बढ़ रहे हैं; यह दर प्रशंसनीय है। यह निर्यात पिछले वर्ष 4 बिलियन अमरीकी डालर का हुआ था। यह हमें विश्वास दिला रहा है कि सन् 2008 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर का लक्ष्य यकीनन प्राप्त हो सकेगा। 'द नॉलेज इकोनामी' गरीबी दूर करने और हमारे सभी नागरिकों को समृद्ध बनाने हेतु भारत के समक्ष एक युग-प्रवर्तक अवसर प्रस्तुत करता है बशर्ते हम सभी स्तरों पर शिक्षा में सुधार करके अपने समृद्ध मानव संसाधन का त्वरित उपयोग कर सकें। सरकार ने 2002 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य अग्रणी अभियांत्रिकी संस्थानों में प्रवेश प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दुगुना करने और 2003 में तिगुना करने का एक कार्यक्रम तैयार किया है। निजी क्षेत्र तथा अनिवासी भारतीयों के परोपकारार्थ प्रयासों द्वारा विश्वस्तरीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना के लिए अनुमति देने संबंधी एक योजना विचाराधीन है। मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में प्रौद्योगिकी शिक्षा पर एक राष्ट्रीय मिशन शीघ्र ही स्थापित किया जाएगा। ये सभी प्रयास सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों में अपनी पूरी क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति के विकास की गति को तेज करेंगे।

समुचित सुरक्षा उपायों के साथ डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं को अनुमति दे दी गई है ताकि इस बेहतर प्रौद्योगिकी के लाभ हमारे टेलीविज़न दर्शकों को मिल सकें। विकास संबंधी प्रसारण में दूरदर्शन का योगदान तथा राष्ट्रीय अखंडता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका सुविदित है। इसने विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के लिए कशीर चैनल तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 24 घंटे के प्रसारण वाला उपग्रह चैनल शुरू किया है ताकि इन राज्यों तथा देश के अन्य हिस्सों में रह रहे हमारे भाई-बंधुओं के बीच भावात्मक तथा सांस्कृतिक एकता के बंधन सुदृढ़ बन सकें। अनेक शहरों में प्राइवेट एफएम रेडियो सेवाएं शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएंगी। इन प्रत्येक शहरों में एक चैनल को विशेष रूप से दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया है।

सुसमन्वित और बहु-विधियों वाली परिवहन अवसंरचना का समग्र विकास हमारी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। स्वर्णिम चतुर्मार्गीय तथा उत्तर-दक्षिण एवं पूर्व-पश्चिम मार्ग वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना पर प्रगति तीव्र गति से हो रही है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए बहुपक्षीय वित्तपोषण सहित पर्याप्त गैर-बजटीय संसाधन जुटाए जा रहे हैं। इस पर 54,000 करोड़ रु. की लागत आने का अनुमान है। केन्द्र व राज्यों द्वारा कई नीतिगत परिवर्तन लागू किए गए हैं जिससे कि हमारे बंदरगाहों की क्षमता में बढ़ोतरी हेतु निजी एवं कैप्टिव प्रयोक्ता क्षेत्र का निवेश आकर्षित किया जा सके। इस माह के आरंभ में, एन्नोर स्थित एक नया बड़ा

बंदरगाह राष्ट्र को समर्पित किया गया है। भारत का पहला निगमित पत्तन होने के कारण यह भविष्य में, देश में होने वाले बंदरगाह विकास के लिए पथ-निर्धारक होगा।

यद्यपि भारतीय रेल राष्ट्र की जीवनरेखा है, फिर भी वह वर्षों से उपेक्षित रही है। उसकी वित्त-व्यवस्था शोचनीय दशा में है, जिससे वह काफी समय से लंबित कई विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित नहीं कर पाई है। रेल सुरक्षा में सुधार के अत्यावश्यक कार्यक्रम का वित्तपोषण करने के लिए भी उसके पास संसाधनों की भारी कमी है। इस कार्य के लिए अनुमानित 15,000 करोड़ रु. चाहिए। अपारंपरिक तरीकों द्वारा आंतरिक संसाधन जुटाने की एक बड़ी और अभी तक अप्रयुक्त क्षमता रेलवे के पास है। इसने हाल ही में नई लाइनें बिछाने, आमान परिवर्तन और डबलिंग परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए निजी क्षेत्र और राज्य सरकारों के साथ कई अभिनव कार्यक्रम शुरू किए हैं। रेलवे संबंधी एक विशेषज्ञ समिति ने प्रचालनों, संगठन, वित्तपोषण, निवेश, टैरिफ और अन्य नीतिगत मुद्दों का एक व्यापक अध्ययन हाल ही में पूरा किया है। सरकार इस समिति की सिफारिशों की समीक्षा करेगी और शीघ्र ही यथोचित कार्रवाई करेगी।

सार्वजनिक क्षेत्र ने हमारी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। परन्तु, इस भूमिका का स्वरूप उसी स्थिति में स्थिर नहीं रह सकता जिसकी परिकल्पना 50 वर्ष पहले की गई थी। वह ऐसा समय था जब प्रौद्योगिकीय परिदृश्य तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण बहुत भिन्न थे। भारत में निजी क्षेत्र ने समय के साथ उन्नति की है तथा वह हमारे राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया में पर्याप्त रूप से योगदान दे रहा है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र दोनों को राष्ट्रीय क्षेत्र के परस्पर अनुपूरक घटकों के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। निजी क्षेत्र को उसी प्रकार और अधिक सार्वजनिक जिम्मेदारियां वहन करनी चाहिए जिस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र को अधिक प्रतियोगी बाजार में परिणाम प्राप्त करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उद्यम तो लाभ कमा रहे हैं, जबकि कुछ को भारी संचित हानि हुई है। सार्वजनिक वित्तपोषण व्यवस्था पर भारी दबाव के कारण सरकारें उन्हें लंबे समय तक बनाए रखने में बिल्कुल भी समर्थ नहीं हैं। तद्नुसार, केन्द्र और कई राज्य सरकारों को विनिवेश कार्यक्रम अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में, सरकार के दृष्टिकोण के त्रिविध उद्देश्य हैं: क्षमतायुक्त व्यवहार्य उपक्रमों का पुनरुत्थान; सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे उपक्रमों को बंद करना जिनका पुनरुत्थान संभव न हो; और सार्वजनिक क्षेत्र के गैर-अनुकूल उपक्रमों में सरकारी भागीदारी को कम करके 26 प्रतिशत या उससे कम करना। आकर्षक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना एवं अन्य उपायों के द्वारा

कामगारों के हितों की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। इस कार्यक्रम ने पहले ही कुछ आरंभिक सफलता अर्जित कर ली है। सरकार ने इंडियन एयरलाइन्स, एयर इंडिया, भारतीय पर्यटन विकास निगम, आई.पी.सी.एल., विदेश संचार निगम लि., सी.एम.सी., बालको, हिन्दुस्तान जिंक और मारूति उद्योग जैसे उद्यमों में अपनी भागीदारी के पर्याप्त हिस्से का विनिवेश करने का निर्णय किया है। जहां अनुकूल साझेदारों की आवश्यकता होगी, उनका चयन एक पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

अर्थव्यवस्था के महत्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्युत क्षेत्र में सुधार आवश्यक है। देश के अधिकतर भागों में विद्युत क्षेत्र में लम्बे समय से चली आ रही कमियों को दूर करने, और बिजली को सबके लिए सुलभ बनाने हेतु, हमने सन् 2012 तक संबद्ध पारेषण एवं वितरण प्रणालियों सहित 100,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए लगभग 800,000 करोड़ रु. के निवेश की आवश्यकता होगी। विद्युत विनियमन आयोगों को, केन्द्र तथा राज्यों दोनों में, टैरिफ के यथोचित निर्धारण, राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति सुधारने, और निजी निवेशकों में विश्वास पैदा करने में प्रधान भूमिका निभानी होगी। मैं, राज्य सरकारों, सभी राजनीतिक दलों और विद्युत सेवाओं के कर्मचारियों और उपभोक्ताओं से विद्युत क्षेत्र में सुधारों का समर्थन करने का आग्रह करता हूं। आरंभ में, इस परिवर्तन से परेशानी हो सकती है, परंतु बाद में, यह सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा।

इस वर्ष तीन नाभिकीय विद्युत रिएक्टरों को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा गया। न्यूक्लिअर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र की चतुर्थ इकाई के क्रिटिकैलिटी और सिंक्रोनाइजेशन के बीच मात्र चौदह दिन का समय लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऊर्जा की कमी को पूरा करने और पर्यावरणीय ह्रास नियंत्रित करने के लिए एक व्यवहार्य और स्वच्छ विकल्प के रूप में नवीकरणीय ऊर्जा पर अब सारे विश्व का ध्यान है। हमारा लक्ष्य अगले बारह सालों में नवीकरणीय स्रोतों से 10,000 मेगावाट और उत्पादन करने का है, जिससे संस्थापित होने वाली अतिरिक्त क्षमता में इसका भाग 10 प्रतिशत हो जाएगा।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के लिए एक दीर्घावधिक नीति बनाने के लिए 'इंडिया हाइड्रोकार्बन विज़न 2025' रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया है। पिछले अट्ठारह माह में कच्चे तेल की कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि से इस वर्ष हमारा तेल आयात बिल लगभग 80,000 करोड़ रु. तक बढ़ गया है। इसलिए, सरकार अपने देश में कच्चे तेल का उत्पादन और बढ़ाने के लिए विशेष उपाय कर रही है। हमने इस वर्ष पच्चीस प्रखंड अन्वेषण के लिए दिए हैं। हमें आशा है कि सितम्बर तक पच्चीस और प्रखंड दे दिए जाएंगे। हमने रूस स्थित सखालिन-I ऑयल फील्ड में बीस प्रतिशत इक्विटी खरीद कर विदेश में तेल इक्विटी भी प्राप्त कर ली है। विदेश में

ऐसी ही और अन्य तेल इक्विटी प्राप्त करने के लिए प्रयास चल रहे हैं। हमने कृष्णा-गोदावरी थाले के गहरे समुद्र में और कैम्बे क्षेत्र के उथले पानी में तेल और गैस का पता लगाया है। भारत ने, इस वर्ष कच्चे तेल के परिष्करण में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। मुझे आपको यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले वर्ष तेल विपणन कंपनियों ने 12 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए, जबकि लक्ष्य 10 मिलियन का था। एलपीजी कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची समाप्त हो चुकी है और अब ये केन्द्रों पर तुरंत उपलब्ध हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराने के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार कोयला क्षेत्र में प्रगति के लिए एक द्विपक्षीय नीति अपना रही है। कोयला खनन में हम निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देंगे। हम संयुक्त उद्यमों को सुकर बनाकर, कोल इंडिया को भी सुदृढ़ बनाएंगे। धनबाद के निकट बागदिगी में हाल में हुई त्रासदी ने कोयला खदानों में सुरक्षा के मामले की तरफ एक बार फिर ध्यान आकृष्ट किया है। सुरक्षा संबंधी अनिवार्यता नवीनतम खनन प्रौद्योगिकी और प्रबंधन तकनीक अपनाकर कोयला क्षेत्र के आधुनिकीकरण के साथ गहन रूप से संबद्ध है। इसमें विलम्ब की कोई गुंजाइश नहीं है। दुर्घटना-संभावित सभी कोयला खदानों का एक व्यापक पुनर्सर्वेक्षण करने के आदेश दे दिए गए हैं।

वस्त्र व्यवसाय एक पारंपरिक उद्योग है, जिसमें भारत विश्व में काफी समय तक लाभप्रद स्थिति में रहा है। लेकिन वह स्थिति अब नहीं रही क्योंकि यह क्षेत्र विश्व बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता के अनुरूप अपना पुनर्गठन नहीं कर पाया। इसकी उपेक्षा समाप्त करने और इस क्षेत्र में त्वरित विकास की प्राप्ति के लिए एक नई वस्त्र नीति बनाई गई है। इसका उद्देश्य घरेलू मांग को पूरा करने और सन् 2010 तक वस्त्र और परिधान निर्यात वर्तमान 13 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़ाकर 50 बिलियन अमरीकी डॉलर करने के लिए अपने देश के वस्त्र गुणवत्ता क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीक युक्त प्रसुविधाओं को बढ़ावा देना है। वस्त्र गुणवत्ता उन्नयन निधि योजना और कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन के अलावा, दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना जैसी पृथक योजनाएं भी शुरू की गई हैं जिससे कि जुलाहों, किसानों और दस्तकारों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

भारत रसायनों और फार्मास्युटिकल्स के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से लाभप्रद स्थिति में है। इस क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और निवेश को बढ़ावा देने के लिए यह प्रस्ताव है कि ऑटोमैटिक रूट के जरिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा वर्तमान 74 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दी जाए। नई औषध नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है जिससे कि भारत का फार्मास्युटिकल उद्योग विश्व में अग्रणी बन सके।

पर्यटन उद्योग विश्व में तीव्र गति से बढ़ता उद्योग है। इसकी भारत में अत्यधिक अदोहित सम्भाव्यता है। सरकार ने राज्यों के समन्वय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए आधारभूत संरचना में सुधार करने और परंपरागत व अपरंपरागत, दोनों प्रकार के पर्यटक स्थलों को विकसित करने के लिए अपने प्रयासों को सुदृढ़ बनाया है।

वर्षों की धीमी विकास-दर के पश्चात् हमारा निर्यात तेजी से बढ़ता रहा है। यह अप्रैल और दिसम्बर के बीच डॉलर के हिसाब से 20.4 प्रतिशत बढ़ा, जबकि पूरे वर्ष के लिए 18 प्रतिशत का लक्ष्य था। विदेशी मुद्रा भण्डार इस वर्ष 2 फरवरी को 38.5 बिलियन अमरीकी डॉलर था जो सुखद स्थिति है। व्यापार नीति की हमारी उदारीकरण की प्रक्रिया में भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार लाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। विश्व व्यापार संगठन को दी गई अपनी वचनबद्धता के अनुसार, अप्रैल में ज्यादातर मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह परिवर्तन भारतीय कृषि और उद्योग विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कष्टदायी न हो। मुम्बई, कांडला, सूरत और कोची स्थित विद्यमान निर्यात संवर्धन अंचलों को विशेष आर्थिक अंचलों में बदल दिया गया है। ऐसे नए अंचल नौ अन्य स्थानों पर भी स्थापित किए जाएंगे।

लघु उद्योग क्षेत्र का हिस्सा औद्योगिक उत्पादन में 38 प्रतिशत और प्रत्यक्ष निर्यात में 35 प्रतिशत से ज्यादा है। हमने लघु और अति लघु क्षेत्र के लिए एक विस्तृत नीतिगत पैकेज तैयार किया है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पुनर्गठन और आधुनिकीकरण की योजना भी तैयार की जा रही है। देशी व विदेशी बाजारों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के उत्पादों को कारगर ढंग से बढ़ावा देने के लिए एक सामान्य ब्रांड नाम "सर्वोदय" शुरू किया गया है।

अत्यधिक प्रतिस्पर्धी विश्व बाजार में भारत के समक्ष आ रही कड़ी चुनौतियों को देखते हुए यह बात ज्यादातर स्वीकार की जा रही है कि हमारे कुछ श्रम कानूनों में होने वाले संशोधनों को अब और टाला नहीं जा सकता। यह संशोधन वास्तव में श्रम अनुकूल हैं क्योंकि उनसे संगठित तथा असंगठित, दोनों क्षेत्रों में रोजगार के और अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। वे व्यवसायिकों को विद्यमान यूनिटों के विस्तार और नई यूनिटों अर्थात् दोनों में निवेश के अवसर प्रदान करके तीव्र आर्थिक विकास में आने वाली अड़चनों को हटाकर ऐसा करेंगे। उदाहरण के तौर पर, भारत वस्त्र, हल्की इंजीनियरी, खिलौने, दस्तकारी, चमड़ा जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना एक विशिष्ट स्थान बना सकता है। सरकार ऐसे उद्योगों में बड़े पैमाने पर निवेश को प्रोत्साहित करेगी तथा उनके द्रुतगामी विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएगी।

सरकार इन अत्यावश्यक श्रम सुधारों को लागू करते हुए यह संकल्प करती है कि वह श्रमिकों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता को किसी भी प्रकार शिथिल नहीं होने देगी। नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए श्रमिकों के प्रशिक्षण और पुनर्प्रशिक्षण के कार्यक्रमों का विस्तार किया जाएगा। उनकी उद्यमशीलता के विकास तथा स्वरोजगार की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का क्षेत्र बढ़ाने तथा लाभों के उदारीकरण के लिए पहले ही कई उपाय किए जा चुके हैं। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के निर्धन परिवारों तथा असंगठित श्रमजीवी वर्ग के लाभ हेतु जून, 2000 में जनश्री बीमा योजना शुरू की गई। श्रम मंत्रालय खेतीहर मजदूरों के लिए एक व्यापक समाज कल्याण योजना पर विचार कर रहा है। यह देश के श्रमिक वर्ग का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। जिन राज्यों में मजदूरी की प्रथा अब भी मौजूद है, वहां हम शिक्षा के माध्यम से पुनर्वास परियोजना प्रारंभ करना चाहते हैं। इसमें बालिकाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

भारत का भविष्य बनाने में शिक्षा विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा, सर्वाधिक लाभप्रद निवेश है। सभी को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए एक समेकित राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन गठित किया गया है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। इसका उद्देश्य सन् 2010 तक चौदह वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को गुणवत्ता वाली आठ वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का स्वामित्व और प्रबंधन स्थानीय लोगों के हाथों में रहेगा। इसमें शिक्षा की वैकल्पिक विधियों द्वारा बालिकाओं और सुविधा वंचित समूहों पर विशेषतया ध्यान दिया जाएगा। सरकार व्यावसायिक स्वरूप की शिक्षा देने और युवा वर्ग को इस योग्य बनाने के लिये उपाय करेगी कि वे स्वयं अपने कामधन्धे और स्वरोजगार के नए उपक्रम शुरू कर सकें।

हमारे समाज के सभी कमजोर वर्गों के तीव्र सामाजिक आर्थिक विकास के प्रति मेरी सरकार मूलत: वचनबद्ध है। हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, सफाई कर्मचारियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए वित्त तथा विकास निगमों को और कारगर बनाने के लिए बहुत से कदम उठा रहे हैं। आय उपार्जित करने वाले उद्यमों, स्वरोजगार कार्यों तथा हुनर एवं प्रतिभा को बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करने हेतु और सुविधाएं दी जाएंगी। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के निर्धनों की आर्थिक उन्नति के लिए स्वावलंबी, विशेषतया महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे समूहों, को दिए जाने वाले अल्पऋण के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कृतसंकल्प है।

किसी राष्ट्र की संपदा मुख्यत: उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही है। विगत में किए गए प्रयासों के सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों को ध्यान में रखते हुए एक नई स्वास्थ्य नीति "सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा" के अभी तक अप्राप्त लक्ष्यों की

प्राप्ति के लिए, शीघ्र ही घोषित की जाएगी। इन उपयोगी कार्यक्रमों में से एक, पिछले माह समाप्त हुआ "पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान" था जो अत्यधिक सफल रहा। सरकार लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अन्य बड़ी चुनौतियों जैसे मलेरिया, कालाजार और एचआईवी/एड्स की महामारी से निपटने के लिए यथासंभव रूप से अधिकाधिक सरकारी व गैर-सरकारी संसाधन जुटाकर शीघ्र ही इसी तरह के और राष्ट्रीय अभियान शुरू करेगी। हमने कुष्ठरोग को समाप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति की है। क्षय रोग के लिए अपनाई गई प्रत्यक्षत: अवलोकित रोग उपचार अल्पावधिक नीति के अंतर्गत 300 मिलियन से अधिक लोगों को चिकित्सा प्रदान की गई जबकि दो वर्ष पहले 20 मिलियन को यह चिकित्सा मुहैया कराई गई थी। जब से इसे लागू किया गया है तब से अब तक लगभग सत्तर हजार जानें बचायी गईं। नाबालिगों को निकोटीन का आदी होने से बचाने के लिए मैं सरकार द्वारा सभी प्रकार के तम्बाकू विज्ञापनों एवं प्रायोजनों को प्रतिबंधित करने के लिए विधान बनाए जाने व किए गए अन्य उपायों की प्रशंसा करता हूं। हमने मानव जीन पर आधारित चिकित्सा अनुसंधान शुरू किया है ताकि आधुनिक विज्ञान के इस तेजी से उभरते हुए नये क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाया जा सके।

आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, यूनानी, योग और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में प्रतिरोधक, प्रोत्साहक और रोगनाशक उपचार बड़ी संख्या में हैं जो किफायती और कारगर दोनों ही हैं। हम अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या कार्यनीति में इन महत्वपूर्ण प्रणालियों की लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा को समाप्त करने के लिए कार्य कर रहे हैं। देशी और विदेशी दोनों बाजारों के लिए जड़ी-बूटी संबंधी उत्पादों की खेती, प्रसंस्करण, उत्पादन और मानकीकरण को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड गठित किया गया है। इस विषय के हमारे परंपरागत ज्ञान के संरक्षण के लिए भी उपाय किए जा रहे हैं, जिससे आने वाले वर्षों के दौरान व्यापक स्तर पर विश्व का ध्यान आकर्षित होने की आशा है।

हमारे शहरी क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता में हो रहा ह्रास गंभीर चिंता का विषय है। हमें पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ, आर्थिक रूप से प्रभावी, सामाजिक रूप से उचित, सांस्कृतिक रूप से जीवंत, तथा क्षेत्रीय रूप से संतुलित शहरी विकास की आवश्यकता है। इस संबंध में सरकार राज्य और स्थानीय स्वशासी निकायों के सहयोग से नीतियां तैयार करेगी। हुडको की सहायता से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष 20 लाख अतिरिक्त आवासीय मकानों के निर्माण कार्यक्रम की प्रगति संतोषजनक है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रमों से शहरी गरीबी के उन्मूलन तथा गरीबों के लिए आश्रय की व्यवस्था करने में बहुत सहायता मिलेगी।

बार-बार सूखा पड़ने, बाढ़ आने, भूमिगत जल स्तर में गिरावट आने, तथा ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में पेयजल की कमी ने जोरदार ढंग से हमें यह स्मरण कराया है कि यदि हम अपने जल संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबंध शुरू नहीं करते तो हमें भविष्य में अधिक गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा। वर्ष 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को बनाए जाने के बाद, हमारे जल संसाधनों के विकास और प्रबंधन में अनेक समस्याएं उभर कर आयी हैं। इसलिए राष्ट्रीय जल नीति का संशोधित प्रारूप तैयार किया गया जिस पर पिछले वर्ष जुलाई में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् की चौथी बैठक में चर्चा की गई। इस संबंध में उभरे मतभेदों को सुलझाने के लिए मंत्रियों का एक कार्यदल गठित किया गया है। सरकार विभिन्न प्रयोगकर्ता समूहों की सक्रिय भागीदारी से जल संरक्षण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शीघ्र ही शुरू करेगी। आपको सूचित करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि भारतीय वन सर्वेक्षण की वर्ष 1999 की रिपोर्ट में यह पता चला है कि हमारा वन क्षेत्र 1997 में किए गए पिछले निर्धारण के बाद से 3,896 वर्ग कि.मी. बढ़ गया है।

भारत का अंतरिक्ष विज्ञान में तीव्र प्रगति करना जारी है। पिछले वर्ष अपने यहां विकसित क्राइयोजेनिक इंजन का प्रथम परीक्षण किया जाना हमारी जीयो-स्टेशनरी सेटेलाइट लांच केपेबिलिटी के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हमारे नवीनतम इनसेट-3बी की सहायता से स्वर्ण जयंती विद्या विकास अंतरिक्ष उपग्रह योजना शुरू की जाएगी जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में विकास संबंधी शिक्षा प्रदान करना है। दो जय विज्ञान नेशनल साइंस और टेक्नोलॉजी मिशन शुरू किए गए हैं। पहला, कृषि जैव विविधता के संरक्षण और दूसरा घरेलू खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में संबंध में है।

न्याय विभाग मुकदमों में होने वाले विलंब को कम करने के लिए विभिन्न प्रक्रियात्मक और मूल विधि की समीक्षा कर रहा है। इस प्रयोजन के लिए दो विशिष्ट योजनाएं शुरू की गई हैं। पहली योजना में, काफी समय से लंबित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए 1,734 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करना शामिल है। दूसरी में, चार महानगरों में न्यायालयों के कम्प्यूटरीकरण और नेटवर्किंग की एक प्रायोगिक योजना है। यह जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के लिए मॉडल के रूप में काम करेगी।

सरकार, वर्तमान तथा अतीत को जोड़कर, भारतीय संस्कृति की रचनात्मक भावना को और सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हमने अपनी समृद्ध और विविधतापूर्ण सांस्कृतिक विरासत की देखभाल के लिए राष्ट्रीय संस्कृति निधि के माध्यम से सार्वजनिक और निजी संस्थाओं की समान सहभागिता को सुकर बनाने के लिए अभिनव पहल की है। हमने अन्य देशों से सांस्कृतिक और खेल संबंध बढ़ाने के लिए भी प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत नवम्बर में प्रथम एफ्रो-एशियन खेलों का आयोजन करेगा।

निरंतरता और राष्ट्रीय सहमति की मजबूत नींव पर आधारित भारत की विदेश नीति को बदलते विश्व परिदृश्य के अनुरूप बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यह मानने लगा है कि शांतिप्रिय, समृद्ध, सुदृढ़ और पुनरुत्थानशील भारत एशिया में और विश्व में शांति, स्थायित्व और संतुलन के लिए एक विश्वसनीय आधार है। हमारी विदेश नीति का मुख्य दृष्टिकोण दूसरे देशों के साथ शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना है। इससे हम राष्ट्र निर्माण कर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखना है। वस्तुत: पाकिस्तान के सिवाय, अन्य सभी पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ बने हैं।

भारत और नेपाल के बीच घनिष्ठ संबंध हैं। दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में व्यापक पारस्परिक संपर्क हैं। प्रधान मंत्री श्री गिरिजा प्रसाद कोइराला पिछले वर्ष जुलाई में भारत आए और द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करने के लिए दोनों देशों ने उनकी विस्तृत पुनरीक्षा की। अभी हाल ही में निहित स्वार्थों द्वारा बाधा पहुंचाए जाने के बावजूद, यह प्रक्रिया भविष्य में भी ऐसे ही चलती रहेगी। भूटान और मालदीव की प्रगति में भी हमारी प्रबल रुचि है तथा एक-दूसरे के प्रति सम्मान तथा आपसी विश्वास के अपने संबंधों से यह लक्ष्य प्राप्त किया जाएगा। भारत आशा करता है कि अशांत अफगानिस्तान में शांति की बहाली जल्द होगी तथा वहां की जनता, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप तथा धार्मिक उग्रवाद के, स्वयं अपना भाग्य निर्मित करेगी।

अपने पड़ोसी देशों के साथ द्वितीय सहयोग का केन्द्र बिन्दु आधारभूत व्यवस्था संबंधी संपर्कों में सुधार करना भी रहा है। अपने घनिष्ठ सहयोग और लोगों के आपसी संबंधों को और बढ़ाने के लिए बांग्लादेश के साथ तीसरा ब्रॉड गेज रेल संपर्क अभी हाल ही में पुन: शुरू किया गया है। भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार को लागू करने से आशा है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में काफी वृद्धि होगी। हम इसी सप्ताह के अंत में राष्ट्रपति चंद्रिका भण्डारनाइके कुमारतुंगा का दिल्ली में स्वागत करने और अपने उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों पर उनके साथ व्यापक समीक्षा करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा में हैं। भारत की सहायता से म्यांमार के साथ सड़क संपर्क दोनों देशों के बीच यात्रा को सुगम और व्यापार को सुकर बनाएगा।

पिछले वर्ष की मेरी चीन यात्रा तथा अभी हाल ही में चीन की नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री ली पेंग की भारत यात्रा से हमारे द्विपक्षीय संबंधों में और सुधार हुआ है। हम पंचशील और एक-दूसरे के मसलों में परस्पर संवेदनशीलता बरतने के आधार पर चीन के साथ मैत्रीपूर्ण तथा अच्छे पड़ोसी संबंध बनाने के प्रति वचनबद्ध हैं।

भारत की "लुक ईस्ट" नीति के तहत प्रधानमंत्री ने गत माह वियतनाम तथा इंडोनेशिया की सफल यात्राएं कीं। मैंने नवम्बर, 2000 में सिंगापुर की राजकीय यात्रा

की। इंडो-चाइना तथा दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध घनिष्ठ और सुदृढ़ हैं। इस क्षेत्र के देशों के साथ, जो हमारे पड़ोसी समान ही हैं, आर्थिक तथा लोगों के आपसी संबंधों को बढ़ाने की काफी गुंजाइश है। इस प्रयास में, मेकोंग-गंगा सहयोग पहल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पिछले वर्ष अगस्त में जापान के प्रधानमंत्री श्री योशिरो मोरी की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान हमने 21वीं शताब्दी में विश्वव्यापी साझेदारी बनाने पर सहमति प्रकट की। इस वर्ष के अंत में, हम कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति श्री किम डाइजंग की भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा में हैं।

हमारे मध्य एशियाई देशों के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक रूप से प्रगाढ़ संबंध हैं तथा उनके साथ अपने संबंधों को और सुदृढ़ करने को अधिक महत्व देते हैं। पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों के साथ हमारे संबंध कई सहस्राब्दियों पुरानी सभ्यता से चले आ रहे हैं, और हम इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपने संबंधों का सम्मान करते हैं। मध्य-पूर्व महत्वपूर्ण शांति प्रक्रिया में गतिरोध, बल के अत्यधिक प्रयोग और हाल ही में हुई हिंसा पर हम गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हम यह विश्वास करते हैं कि फिलिस्तीन तथा इज़रायल समेत क्षेत्र के सभी राष्ट्रों को, सुरक्षित तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य सीमाओं में रहने का अधिकार है।

रूस के साथ समय की कसौटी पर खरी उतरी हमारी मैत्री अक्तूबर के दौरान राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की यात्रा से और अधिक सुदृढ़ हुई, जब हमने नई शताब्दी में भारत-रूस संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तय करके नीतिगत साझेदारी घोषणा पर हस्ताक्षर किये।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ भारत के निरंतर मजबूत होते संबंध हमारे विदेशी संबंधों का एक महत्वपूर्ण नया आयाम है। राष्ट्रपति क्लिंटन की भारत यात्रा तथा पिछले वर्ष प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा ने हमारे संबंधों के इस नए दौर की मजबूत नींव रखी है। मैं सिलिकॉन वैली के भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी व्यावसायिकों तथा वास्तव में संपूर्ण भारतीय अमरीकी समुदाय की, उसकी शानदार सफलता पर, सराहना करता हूं। उन्होंने भारत के प्रति न केवल अमरीका के, बल्कि विश्व के नजरिए को बदल दिया है। हम मजबूत तथा पारस्परिक हितकर द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए जार्ज डब्ल्यू. बुश प्रशासन के साथ लगातार प्रयासरत हैं।

पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री की पुर्तगाल यात्रा के दौरान लिस्बन में संपन्न हुई सर्वप्रथम भारत-यूरोपीय शिखरवार्ता से यूरोपीय संघ के साथ भारत की नीतिगत साझेदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई इसके तहत हमारे राजनीतिक, आर्थिक तथा

वाणिज्यिक विनिमय को बढ़ाने के लिए हमें विश्वास है कि युनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली तथा अन्य यूरोपीय देशों के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंधों को नये आयाम मिलते रहेंगे। भारत पूर्वी तथा मध्य यूरोप के देशों के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को और सुदृढ़ कर रहा है। उनमें से कई देशों के साथ उच्चस्तरीय विचार विनिमय किए जाने की योजना है।

अफ्रीकी देशों के साथ हमारे संबंध प्रगाढ़ रूप से मैत्रीपूर्ण हैं और विकासशील देशों के हितों के प्रति हम सभी समान रूप से सजग हैं। इंडियन ओशन रिम भारत और दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ और अधिक घनिष्ठ सहयोग की संभावनाएं प्रदान करता है। प्रधानमंत्री सर अनिरूद्ध जगन्नाथ की हाल की भारत यात्रा से मॉरीशस से हमारी घनिष्ठ मैत्री और प्रगाढ़ हुई है। मैं, उनके राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर वहां जाने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। अल्जीरिया के राष्ट्रपति श्री अब्देलाजिज बाउतेफ्लीका इस वर्ष के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर मुख्य अतिथि थे। नाइजीरिया के राष्ट्रपति श्री ओल्यूसेगन ओबासंजो की यात्रा से इस महत्वपूर्ण अफ्रीकी देश के साथ हमारे संबंध और सुदृढ़ हुए हैं। हम मोरक्को के शासक महामहिम मोहम्मद-6 की इस माह के अंत में भारत यात्रा की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

हम लेटिन अमरीका के देशों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने और कैरिबियन देशों और राष्ट्रमंडल के अन्य सदस्यों के साथ अपने परंपरागत घनिष्ठ संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। फिजी के बहुजातीय समाज में लोकतंत्र का दमन हमारे लिए गहरी चिंता का विषय बना हुआ है। भारत, फिजी में भेदभाव-रहित लोकतंत्र की शांतिपूर्ण बहाली के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर कार्य करेगा।

संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने यह सहमति जताई है कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया में सभी का समावेश हो तथा वह न्यायोचित हो। इसमें, सीमापार आतंकवाद सहित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, हथियारों और नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, धार्मिक कट्टरपन और सैन्य दुस्साहस की भी निंदा की गई। आतंकवाद के विरुद्ध एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शीघ्र बुलाए जाने की भारत की मांग का समर्थन किया गया। अधिकाधिक देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण और उत्तरदायी बनाने की मांग करने लगे हैं। सुरक्षा परिषद् के प्रस्तावित विस्तार की स्थिति में उसकी स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी को भी अधिकाधिक समर्थन मिल रहा है। हम, विश्वव्यापी, व्यापक और भेदभाव-रहित नाभिकीय नि:शस्त्रीकरण की अपनी मांग को दोहराते हैं। साथ ही, हमारी सुरक्षा आवश्यकताएं हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति होने तक आत्मरक्षा हेतु एक विश्वसनीय न्यूनतम नाभिकीय शस्त्र अपने पास बनाए रखने के लिए बाध्य करती हैं।

मेरी सरकार ने विदेश में रहने वाले भारतीयों के साथ अपने विविध संबंधों को प्रगाढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। उनकी संख्या बीस मिलियन है तथा वे सारे विश्व में फैले हुए हैं तथा वे जिन देशों में बसे हैं, उनके साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहते हुए उन्होंने अपनी मातृभूमि के साथ भी घनिष्ठ सांस्कृतिक, आर्थिक और आध्यात्मिक संपर्क बनाए रखे हैं। भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत सिफारिशें सुझाने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति नियुक्त की गई है।

माननीय सदस्यगण, आज आप बजट सत्र शुरू कर रहे हैं। रेल तथा आम बजट से संबंधित वित्तीय कार्यों के अलावा पर्याप्त विधायी कार्य भी इस सत्र में किया जाना है। दो अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक बनाने की भी आवश्यकता है। यह सभी कार्य मूलरूप में हमारे देश के सर्वांगीण तथा तीव्र सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़ा है। लोगों ने आपको चुना है, उन्हें आप से बहुत आशा है कि संसद के बहुमूल्य समय का सर्वोत्तम उपयोग निर्धारित कार्य को पूरा करने में किया जाएगा।

मैं आपके प्रयासों की सफलता की कामना करता हूं।

जय हिन्द।